Compensation for damages due to negligence of public servants

2591. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian citizens have a right to monetary compensation for damages suffered due to wrongs committed by and/or negligence by public servants;

(b) whether it is also a fact tha Government are liable for wrong committed by their officers, while on public duty;

(c) if so under what Constitutional and legal provisions;

(d) if not, why and whethe these are not covered under the Fundamental Rights of citizens;

(e) whether Government would introduce provisions to facilitate such claims and to regulate and con such claims under Public Law an identify areas for limiting the appli cability of principles of sovereign immunity; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PEN STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Yes. Sir

(b) Yes, Sir.

(c) The liability is determined under the general law of Torts. However, some specific laws, e.g., Motor Vehicle Act, 1988 and Consumer Protection Act, 1986 are laws made by Parliament regulating claims or tortious liability.

(d) In view of reply to (c), this does not arise.

(e) No such proposal is under consideration at present.

(f) The proposals for enacting laws dealing with specific subjects are processed by concerned Ministry of the Government as and when need is felt.

केन्द्रीय भंडार की खुदरा दुकानों में दर सूची

2592. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भंडार की अलग-अलग दुकानों में वस्तुओं की दरों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ;

(ख) केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित वजन से कम मात्रा में सामानों को पैक किए जाने और घटिया वस्तुओं की बिक्री किए जाने से संबंधित खबरें आने के बाद सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा खुदरा दुकानों पर दाम सूची प्रदर्शित नहीं किए जाने और मनमाना करने वाली मशीनों में वस्तुओं के कोड अंकित नहीं रहने के कारण ग्राहकों को होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०आर० बालासुब्रह्मण्यन) : (क) केन्द्रीय भंडार के विभिन्न शाखा स्टोरों में बेची जाने वाली किसी खेप विशेष की सभी वस्तुओं का विक्रय-मूल्य एक समान होता है ।

(ख) हाल ही में पैक आवरण पर दर्शाए गए वजन से कम वजन की अथवा घटिया किस्म की डिब्बा बंद वस्तुओं की बिक्री के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) केन्द्रीय भंडार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सभी स्टोरों द्वारा पैक